

## कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर

सहायक अभियंता, लिपिक व ड्राईवर पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर, 25 अक्टूबर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मंगलवार को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बापावर कलां, जिला कोटा के सहायक अभियंता, श्री राजकिशोर, श्री घनश्याम, तकनीकी सहायक व ड्राईवर, श्री फाईमुद्दीन को पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

श्री वी.के. सिंह, महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बताया कि परिवादी श्री दुष्यन्त कुमार ने ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके खेत से डी.पी. ट्रान्सफारमर चौरी हो जाने पर नया ट्रान्सफारमर लगाने की एवज में अपने तकनीकी सहायक व ड्राईवर के मार्फत नौ हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। मामला सात हजार रु. लेना तय हुआ, जिसमें से दो हजार रूपये सत्यापन के समय ड्राईवर ने ले लिये थे।

ब्यूरो चौकी कोटा स्पेशल यूनिट द्वारा शिकायत के सत्यापन के उपरान्त ट्रेप का आयोजन कर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बापावर कलां, जिला कोटा के सहायक अभियंता, श्री राजकिशोर, श्री घनश्याम, तकनीकी सहायक व ड्राईवर, श्री फाईमुद्दीन को पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

उक्त प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

— — —